राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

राजकीय भवनों के शिलान्यास अथवा उद्घाटन समारोह/कार्यक्रम जन प्रतिनिधियों से ही संपादित करवाये जाने के संबंध में पूर्व प्रसारित परिपत्र क्रमांक प. 19(16)प्र.सु/अनु.–1/सम./95 दिनांक 14.11.1995, 23.08.1999, 23.04.2002, प. 10(2)प्र.सु/अनु.–1/सम./अनु–1/1996 दिनांक 19.07,2001 एवं प. 24(1)प्र.सु/अनु.–1/सम./2015 दिनांक 09.10.2015 की निरन्तरता में निम्नांकित दिशा–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. सार्वजनिक राशि के उपयोग से आयोजित होने वाले राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रमों व अन्य राजकीय समारोह, चाहे वे किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम या स्वायत्तशासी संस्था के हो, में जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर/सभापति/अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों, विशेषतः कार्यक्रम स्थल क्षेत्र से संबंधित जन प्रतिनिधिगण को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जावे।

2. राजकीय भवनों या कार्यक्रमों के शिलान्यास/उद्घाटन/लोकार्पण आदि कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों से ही सम्पन्न कराये जावें।

कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 4(6)कार्मिक/–3/1978 दिनांक 30.04.2007 द्वारा उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले संबंधित अधिकारीगण के विरूद्ध, इसे राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुये, अनुशासनिक कार्यवाही के लिए विनिर्दिष्ट किया हुआ है। दिनांक 06.03.2018 को दी गई अध्यक्षीय व्यवस्था के अनुसार अब उन्हें विधानसभा के विशेषाधिकार हनन का दोषी भी माना जा सकता है। अतः समस्त राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों/बोर्ड/निगमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में पदस्थापित समस्त अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सभी स्तरों पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ।

(निहाल चन्द गोयल)
मुख्य सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
अ0शा0टीप संख्याः प. 24(1)प्र.सु/सम/अनु–1/2015
जयपुर, दिनांक : 05/04/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण एवं संसदीय सचिव
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा
6. समस्त संभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर
7. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार
8. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजकीय उपक्रम/निगम/बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाऐं
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
10. रक्षित पत्रावली

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव